ज्ञापांक–1493/Tech

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखाण्ड, राँची।

दिनांक–29.08.2018

सेवा में

श्री निसिथ केशरी,
221, प्रथम तल, तीरथ मेंशन,
मेन रोड, राँची।

विषयः– **मौजा–रातु रोड, प्लॉट नं0–RS141/948, खाता नं0–10, वार्ड नं0–30, थाना–सुखदेवनगर, राँची, में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक–295, दिनांक–29.08.18 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित A ब्लॉक के सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंक्लर से सुरक्षित किया जाय। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाय, किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में ओभरहेड टैंक एवं अंडरग्राउंड टैंक दोनों से निर्वाध जलापूर्त्ति की जा सके।
2. A ब्लॉक के सामने वाले भाग में 1,00,000 लीटर क्षमता का तथा B ब्लॉक के सामने वाले भाग में 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
3. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों को इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
4. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
5. प्रस्तावित दोनों ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में टेरेस वाटर टैंक से जुड़ा हुआ एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63 mm डिलिवरी आउटलेट एवं कम से कम 30-30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय। डिलिवरी आउटलेट के पास दीवार में एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो–दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
6. प्रस्तावित ब्लॉक A के सतही एवं ऊपर के सभी तलों में एड्रेसेबल टाईप स्मोक डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
7. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सतही तल पर थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के अग्निशमन कार्य हेतु अलग–अलग पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 ली0/मि0 क्षमता का एक–एक फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. सामन्य क्षमता का एक–एक अदद वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. दोनों ब्लॉकों के पम्प हाउस में जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में 900 लीटर क्षमता का टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

12. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के फायर स्केप रूट वाली सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किये जॉय।
13. रैम्प का स्लोप 1:10 से कम नहीं रखा जाय।
14. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
15. प्रस्तवित दोनों ब्लॉकों के लिफ्ट में से किसी एक–एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
16. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों की विद्युत व्यवस्था किसी Lisenced Electrician से हीं कराये जाँय।
17. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसका हूटर भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
19. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाए।
20. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरूद्ध नहीं किया जाय।
21. प्रस्तावित दोनों ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी को कम से कम दो घंटा अग्निरोधी फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
22. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के सामनेवाले भाग में दो–दो यार्ड हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। हाईड्रैण्ट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. मानक के अनुरूप प्रस्तावित ब्लॉक B के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ा, ठोस, समतल एवं खुला स्थान हर समय उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म से अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
24. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
25. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराये जाने तथा जाँच में संतोषजनक पाये जाने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. प्रस्तावित दोनों ब्लॉकों के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
27. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

RAM KRISHNA THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217, st=JHARKHAND, serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e93ebbae15a4a6839d2aa85f8e9395d45, cn=RAM KRISHNA THAKUR
Date: 2018.08.29 16:40:01 +05'30'

(राम कृष्ण ठाकुर)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।